संख्याः 1049 /X-4-16/1(549)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 **देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2016**

विषयः–जनपद चमोली में देवलधार से कलचुन्डा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.853, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–296/FP/UK/ROAD/10484/2015, दिनांक 23.07.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली में देवलधार से कलचुन्डा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.853, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या–एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.706 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)

तथा दूसरी सभी निधियॉ की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन–लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन–लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन–लाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकरी द्वारा ऑन–लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन–लाइन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकरी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन-लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 1049 (1)/X–4–16/1(549)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, निदेशक, नंदादेवी जैवमण्डल आरक्षिति, गोपेश्वर।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।